न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ(चूरू)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या – 86/2023
जीसीएमएस नम्बर – 2023/169
आदेश दिनांक – 15.01.2026

1. भागीरथ बावरी पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति बावरी नि. ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज

.....वादी

बनाम

1. रेवन्त पुत्र पेमाराम जाति बावरी नि. ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
2. कानाराम पुत्र रेवन्त जाति बावरी नि. ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
3. पृथ्वीराज पुत्र रेवन्त जाति बावरी नि. ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
4. चुकीदेवी पुत्री रेवन्त जाति बावरी नि. ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
5. मनोज देवी पुत्री रेवन्त जाति बावरी नि. ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राज
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
8. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

.....प्रतिवादीगण

घोषणात्मक डिकी प्राप्ति, रिकार्ड संशोधन, विभाजन,
चिर निषेधाज्ञा का वाद वर विनाय शहादत हर किश्म

उपस्थितः–
1. श्री ओमप्रकाश शर्मा एड. वादी
2. श्री पार्थ शर्मा, एड. प्रतिवादीगण 01 ता 05

–:निर्णयः–

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकरण है कि वादी की ओर से वाद इस आशय का पेश किया गया कि वाके रोही ग्राम बीडास पटवार हल्का रणधीसर तहसील सुजानगढ़ की रोही में खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 4.0084 हैक्टयर भूमि वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसे आगे वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादी के पिता स्व. रामचन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 27.01.2022 को हो चुका है एवं वादी की माता श्रीमती निराणी का स्वर्गवास दिनांक 17.10.2019 को हो चुका है। वादी स्व0 रामचन्द्र का एक मात्र दत्तक पुत्र है। इसके अलावा कोई पुत्र–पुत्री सन्तान नहीं होने के कारण वादी स्व. रामचन्द्र के नाम 1/2 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसी अनुरूप संशोधन राजस्व रेकार्ड में वादी करवाना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपना खेत अलग–अलग काश्त करते है एवं वर्तमान में उनका खानपान रहनसहन अलग–अलग है एवं वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 अलग अलग काश्त करते है। मौके पर विभाजन पक्षकारों के मध्य हो रखा है उसी अनुरूप कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के आधार पर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी होने से एवं वादी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारों के मध्य मनमुटाव रहने लग गया है। जिस कारण वर्तमान में बाहमी बंटवारा के अनुसार मौके की स्थिति के अनुसार

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

हिस्से पांती को राजस्व रिकार्ड में अलग से खातेदारी में दर्ज करवा कर विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी के पिता स्व. रामचन्द्र के समय से ही मौके पर निम्न प्रकार से विभाजन किया हुवा है।

- *वादी के हिस्से में : खसरा नम्बर 177 में से मिन पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा*
- *प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में: खसरा नम्बर 177 में से मिन पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा*

वादी ने वाद पत्र में निवेदन किया है कि वादगत खेत खसरा पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़ से ऋण प्राप्त किया हुवा है। जिस कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जिससे किसी प्रकार की कोई रिलिफ नही चाही है। प्रतिवादी संख्या 6 राजस्थान सरकार भूमि धारक एवं वर्तमान में रिकॉर्ड का संधारण कर रहे है एवं प्रतिवादी संख्या 07 उपपंजीयक सुजानगढ़ के यहा प्रतिवादीगण अजनबी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा सकते है अतः आवश्यक पक्षकार दावा होने के कारण पक्षकार दावा बनाया गया है। यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 04.09.2023 को विवादित कृषि भूमि में वादी का नाम दर्ज करवाने एवं विभाजन हेतु निवेदन किया लेकिन वे स्पष्ट इन्कार हो गये एवं इसी दिन वादी को अपने कब्जा काश्त के खेत में से बेदखल करने व किसी अजनबी भू माफिया को कब्जा हस्तान्तरण करने या किसी बैंक आदि में गिरवी रखकर ऋण लेने की धमकी दी जिससे वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया गया कि इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी की जावे कि वादगत कृषि भूमि में से वादी का 1/2 हिस्से की घोषणा करवा कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है तथा सदामत से चले आ रहे वादगत खेतों पर कब्जा उपयोग उपभोग के अनुसार वादी विभाजन करवाने का अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या 6 को आदेश दिया जावे कि वादगत कृषि भूमि की खातेदारी मुताबिक नामांकन कर राजस्व रेकार्ड में उनके हिस्से अनुसार अमल दरामद करें तथा जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिकी से प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि वोह वादी के हिस्से पांती के वादग्रस्त खेत खसरा में न तो प्रवेश करें एवं न ही वादी के कब्जा काश्त में दखल देवें एवं न ही ताकत के बल पर वादी को बेदखल करें एंव ना ही कब्जा करवाये या अन्य किसी प्रकार से हस्तानान्तरण करें एवं न ही कोई फेल या तर्क फेल करें जिससे वादी के कानूनी अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव पड़ें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की ओर से दिनांक 22.08.2024 को विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थ शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने दिनांक 22.08. 2024 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार खातेदार रामचन्द्र का स्वर्गवास होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादगत भूमि में उसके हिस्से की भूमि उसके एकमात्र वारिस खातेदार वादी भागीरथ के नाम दर्ज किया जाना है। वादगत भूमि ख0नं0 177 में से मिन 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ वादी भागीरथ के नाम से विभाजन किया जाना है एवं 1/2 पूर्वी

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

तरफ का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 रेवन्त खातेदार के नाम से दर्ज होना है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 ने मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

उपभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उजर आपति प्रस्तुत नहीं हुई है बल्कि मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। राजीनामा व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमत है जिस कारण प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 177 में वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र पेमाराम जाति बावरी का में 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार रामचन्द्र का निधन होने के कारण एकमात्र जायज वारिस होने के कारण वादगत भूमि वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड करवाने का अधिकारी है साथ ही वादी अपनी भूमि का एवं प्रतिवादीगण अपनी भूमि का विभाजन मुताबिक राजीनामा अन्तिम रुप से डिक्री करवाने के अधिकारी है। जो अपने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकते है। न्यायालय के विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य लेने की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार अनुतोष स्वीकार किया जाकर वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अन्तिम रुप से डिक्री किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम बीडास पटवार हल्का रणधीसर भू–अ0 निरीक्षक वृत छापर तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नं0 177 तादादी 4.0084 हैक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। तथा वादगत भूमि का विभाजन मुताबिक राजीनामा ***वादी के हिस्से में : खसरा नम्बर 177 में से मिन पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में: खसरा नम्बर 177 में से मिन पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा*** अलग से राजस्व रेकार्ड में कायम कर अलग से खाते में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। रहन की प्रविष्टि यथावत रहे। पालनार्थ तहसीलदार, सुजानगढ को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़

वइजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

भागीरथ बनाम रेवन्त आदि

घोषणात्मक डिकी प्राप्ति, रिकार्ड संशोधन, विभाजन,

चिर निषेधाज्ञा का वाद वर विनाय शहादत हर किश्म

मुकदमा न0 86 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ..... हाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा, मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर घोषित किया जाता है व डिकरी दी जाती है कि, वादगत भूमि वाके रोही ग्राम बीडास पटवार हल्का रणधीसर अ0 निरीक्षक वृत छापर तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नं0 177 तादादी 4.0084 हक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। तथा वादगत भूमि का विभाजन मुताबिक राजीनामा ***वादी के हिस्से में : खसरा नम्बर 177 में से मिन पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में: खसरा नम्बर 177 में से मिन पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा*** अलग से राजस्व रेकार्ड में कायम कर अलग से खाते में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। रहन की प्रविष्टि यथावत रहे। पालनार्थ तहसीलदार, सुजानगढ को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

चीज..... मुबलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .....

..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

ओहदा .....

मुद्दई

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।